

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद,
जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष- सतीश कुमार गुप्ता)

आप0पुन0याचिका क्र0-35 / 17

प्रस्तुति दिनांक-10.03.2017

1. छोटू खॉ पुत्र सिकंदर खॉ आयु 27 वर्ष, जाति मुसलमान निवासी नहर के पास चौड़ा खरंजा कैलारस जिला मुरैना, (म0प्र0)

---निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमती रुबीना पत्नी छोटू खां पुत्री अकबर खां आयु 24 वर्ष
2. सिन्दवाज पुत्र छोटे खां आयु 3 वर्ष नावालिग सरपरस्त माँ श्रीमती रुबीना पत्नी छोटू खां, उक्त दोनों निवासी वार्ड नंबर 5 लक्ष्मण तलैया के पास गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

---प्रतिनिगरानीकर्तागण

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिनिगरानीकर्तागण की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

आप0पुन0याचिका क्र0-49 / 17

प्रस्तुति दिनांक-22.05.2017

1. श्रीमती रुबीना पत्नी छोटू खां पुत्री अकबर खां आयु 28 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य

2. सिंदबाज पुत्र छोटू खान आयु 6 वर्ष नावालिग सरपरस्त माँ रूबीना,
उक्त दोनों निवासी हाल वार्ड नंबर 5 लक्ष्मण तलैया के पास गोहद जिला भिण्ड, (म.प्र.)

----निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. छोटू खान पुत्र सिकंदर खान आयु 30 वर्ष, निवासी नहर के पास चौड़ा खरंजा कैलारस जिला मुरैना, (म0प्र0)

-----प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्तागण की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रतिनिगरानीकर्ता की ओर से श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता।

// आदेश //

(आज दिनांक 30.01.2018 को पारित)

01. उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों पुनरीक्षण याचिका विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक ही आदेश से उद्भूत होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है तथा इस आदेश में भ्रम से बचने के लिये व सुविधा की दृष्टि से छोटू खाँ को निगरानीकर्ता/अनावेदक के रूप में एवं श्रीमती रूबीना व सिन्दबाज को प्रतिनिगरानीकर्तागण/आवेदकगण के रूप में संबोधित किया जावेगा।

02. उक्त प्रकरण क्रमांक 35/17 के पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रकरण क्रमांक 49/17 के पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड (श्री अमित कुमार गुप्ता) के विविध प्रकरण क्रमांक 01/14 (श्रीमती रूबीना आदि विरुद्ध छोटू खाँ) में पारित आदेश दिनांकित 27.02.17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण श्रीमती रूबीना आदि की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 125 दं0प्र0सं0 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक क्रमांक 1 श्रीमती रूबीना को 1500/- रुपये व सिंदबाज को 1000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि अनावेदक छोटू खाँ से दिलाये जाने का आदेश दिया है।

03. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य यह स्वीकृत/निर्विवादित तथ्य है कि निगरानीकर्ता छोटू एवं प्रतिनिगरानीकर्ता श्रीमती रूबीना का मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 27.05.2012 को कस्बा जौरा, जिला मुरैना में आयोजित समाज के सामूहिक सम्मेलन में विवाह संपन्न होने के कारण वे परस्पर पति-पत्नी हैं व उनके संसर्ग से वर्ष 2013 में प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 2

सिंदबाज पैदा हुआ है एवं वर्ष 2014 से प्रतिनिगरानीकर्ता रूबीना, निगरानीकर्ता छोटू से पृथक अपने मायके में पुत्र सिंदबाज सहित निवासरत है और निगरानीकर्ता/अनावेदक द्वारा प्रतिनिगरानीकर्तागण/आवेदकगण को कोई भरण—पोषण की राशि अदा नहीं की जा रही है।

04. अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण श्रीमती रूबीना आदि की ओर से धारा 125 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकृत/निर्विवादित तथ्यों के अतिरिक्त संक्षेप में इस प्रकार है कि विवाह पश्चात आवेदक श्रीमती रूबीना (अत्र पश्चात केवल आवेदक) अपनी ससुराल कैलारस जिला मुरैना में रही, किंतु ससुराल में रहने के दौरान विवाह के कुछ समय बाद से ही अनावेदक व उसके ससुरालीजन सास, ससुर, जेठ—जिठानी द्वारा बात बात पर से शादी में कम दहेज मिलने बावत ताने आवेदक श्रीमती रूबीना को देते हुये उसे अपने मायके से दहेज के रूप में सोने की जंजीर व मोटरसाईकिल सहित नगदी 50 हजार रुपये और लाने की मांग करते हुये उसे निरंतर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मांग पूर्ति के अभाव में अनावेदक व उसके ससुरालजन द्वारा दिनांक 02.01.14 को आवेदक से पूरा सामान छीनकर उसे पहने हुये कपड़ों में उसके मायके में पिता के घर यह कहते हुये छोड़ गये कि दहेज मांग की पूर्ति के बिना उसे अपने साथ नहीं रखेंगे। गरीब व अपाहिज होने के कारण आवेदक के पिता के पास मांग पूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है एवं अनावेदक व ससुरालजन दहेज के बिना आवेदक को ले जाने के लिये तैयार नहीं हैं। उक्त संबंध में आवेदक ने थाना गोहद में दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आवेदक अनपढ़ व सीधी—सादी महिला है, जिस पर कोई रोजगार का साधन नहीं है। उसका एक छोटा नावालिग पुत्र है व दोनों भरण—पोषण करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में वह अपने पिता के यहां रहने को विवश है, जबकि अनावेदक संपन्न व्यक्ति होकर 10 बीघा जमीन व एक कार तथा मोटरसाईकिल भी है। अनावेदक पेंटिंग का कार्य अहमदाबाद व कैलारस में करता है, जिससे उसे लगभग 25 हजार रुपये प्रतिमाह की आमदनी होती है। अतः अनावेदक से 10 हजार रुपये प्रतिमाह भरण—पोषण राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

05. अनावेदक छोटू खान (अत्र पश्चात केवल अनावेदक) की ओर से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र का लिखित जवाब पेश कर स्वीकृत/निर्विवादित तथ्यों के अतिरिक्त आवेदन पत्र में वर्णित शेष समस्त अभिकथनों को अस्वीकृत करते हुये आवेदन पत्र का विरोध इन आधारों पर किया गया है कि अनावेदक व उसके ससुरालजन द्वारा आवेदक से न तो दहेज की कभी कोई मांग की है और न ही दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, बल्कि उक्त संबंध में आवेदक ने अनावेदक व उसके परिवारजन के विरुद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध कराया गया है। आवेदक पढ़ी—लिखी है व उसके माता—पिता के घर से सिलाई की मशीन दी गई है, जिससे वह सिलाई का काम करके महीने में करीब 10 हजार रुपये कमा लेती है। इस प्रकार भरण—पोषण हेतु आवेदक स्वयं सक्षम है। अनावेदक के नाम कोई भी जमीन नहीं है। वह पेंटिंग का कार्य नहीं करता केवल मजदूरी करता है। अनावेदक की 25 हजार रुपये की कभी कोई आय नहीं हुई है। आवेदक क्रमांक 1 ने बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से मायके में रहते हुये अनावेदक को उसके दाम्पत्य सुखों से वंचित रखा है। इस कारण से वह भरण—पोषण राशि पाने की पात्र नहीं है। अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

06. आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष समर्थन में श्रीमती रूबीना आ0सा0-1 व गुड्डी आ0सा0-2 का परीक्षण कराया है, जबकि प्रतिरक्षा में अनावेदक की ओर से छोटू खान आ0सा0-1 व सिकंदर खान आ0सा0-2 का परीक्षण कराया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत प्रकरण को गुण-दोष पर निराकृत करते हुए आलोच्य आदेश पारित करते हुए प्रकरण का उपरोक्तानुसार निराकरण किया गया है, जिससे व्यथित होकर उभयपक्ष की ओर पृथक-पृथक पुनरीक्षण याचिकाओं को पेश किया गया है।

07. अनावेदक छोटू खां की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्य के विपरीत होने, साक्ष्य का विपरीत निष्कर्ष निकालने एवं आवेदक श्रीमती रूबीना को बिना वजह पृथक रहने से पात्रता नहीं होने के बावजूद भरण-पोषण की राशि दिलाई जाने में त्रुटि किये जाने से पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 35/17 को पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को पूर्णतः अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई है, जबकि आवेदकगण श्रीमती रूबीना आदि की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत कम भरण पोषण राशि दिलाये जाने से उसके विरुद्ध निगरानी याचिका प्रकरण क्रमांक 49/17 को पेश कर वांछित भरण-पोषण राशि 10,000/- रुपये आवेदकगण को दिलाये जाने बावत प्रार्थना की है।

08. उक्त दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं के संबंध में आवेदक पक्ष के अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता एवं अनावेदक पक्ष के अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 01/14 (श्रीमती रूबीना विरुद्ध छोटू खां) के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

09. उक्त दोनों प्रकरणों के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्र0 01/14 (श्रीमती रूबीना आदि विरुद्ध छोटू खां) में आदेश दिनांक 27.02.17 को पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्य एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है ?
-----	---

// सकारण निष्कर्ष //

10. अनावेदक छोटू खां की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपने इन तर्कों पर अधिक जोर दिया है कि अनावेदक छोटू के मजदूर पेशा होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने उसे पर्याप्त साधन संपन्न मानते हुये अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सहित विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत निष्कर्ष दिया है। यद्यपि यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक पक्ष द्वारा अनावेदक की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर पेश नहीं किया है, लेकिन स्वयं अनावेदक छोटू खान अना0सा0-1 एवं उसके पिता सिकंदर खान अना0सा0-2 ने अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है

कि उनके घर पर दो चार पहिया वाहन बोलेरो एवं मारुति 800 है तथा अनावेदक छोटू खान मजदूर होकर बेलदारी का कार्य करता है।

11. अनावेदक पक्ष का अपने अभिवचनों तथा कथनों में ऐसा कदापि कहना नहीं है कि अनावेदक छोटू खां गंभीर बीमारी आदि से पीड़ित होने के कारण शारीरिक रूप से अक्षम है और उसमें अर्थ अर्जन की क्षमता नहीं है, बल्कि अभिलेख से यह प्रकट है कि अनावेदक छोटू 22 वर्षीय नवयुवक है और स्वयं अनावेदक छोटू का कहना है कि वह मजदूर होकर बेलदारी का काम करता है जिसका तात्पर्य है कि वह शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है एवं उसमें अर्थ अर्जन की क्षमता है। साथ ही यह भली भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि 125 दं0प्र0सं0 के प्रयोजन के लिये “पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति” से तात्पर्य केवल ऐसे व्यक्ति से ही नहीं है जो कि वास्तव में आर्थिक रूप से साधन संपन्न हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति से भी है, जो कि शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है और उसमें अर्थ अर्जन की क्षमता है तथा यह भी स्पष्ट है कि दं0प्र0सं0 की धारा 125 के प्रावधान महिलाओं एवं बच्चों के सापेक्ष सामाजिक न्याय संबंधी है।

12. उक्त संबंध में सम्मानীয় न्यायदृष्टांत हरिदेव सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 1995 सी0आर0एल0जे0 1652 अवलोकनीय है, जिसमें यह धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर शारीरिक अयोग्यता के अधीन नहीं है, जो उसे आय अर्जित करने में असमर्थ बना देती हो तो ऐसे अच्छे शरीर वाले व्यक्ति को पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति माना जाना चाहिये। उसके पास केवल संपत्ति न होने या बेरोजगार होने से भरण-पोषण के दायित्व से मुक्ति नहीं मिल जाती है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है तो उसका प्रथम दायित्व है कि वह पत्नी का भरण-पोषण करे तथा यदि पति साधू भी हो जाता है तो भी वह पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता है। इसी प्रकार सम्मानীয় न्यायदृष्टांत दुर्गा सिंह विरुद्ध प्रेमावाई 1990 सी0आर0एल0जे0 2065 में भी यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि यदि कोई व्यक्ति योग्य शरीर वाला है और कमाने की स्थिति में है तो उसे धारा 125 दं0प्र0सं0 के प्रयोजन के लिये भरण पोषण के मामले में पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति माना जाता है तथा कोई भी व्यक्ति यह कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है।

13. अतः उक्त समस्त के प्रकाश में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया यह सकारण निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित होकर उचित एवं विधिसम्मत होना पाया जाता है कि अनावेदक छोटू खां धारा 125 दं0प्र0सं0 के प्रयोजन के लिये पर्याप्त साधन संपन्न व्यक्ति है और उक्त संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये उक्त तर्क तात्विक नहीं पाये जाने से अमान्य किये जाते हैं।

14. अनावेदक छोटू की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में यह भी कहना है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के विपरीत यह मानकर भूल की है कि आवेदक श्रीमती रुबीना अपना भरण पोषण करने में अक्षम है। उक्त संबंध में अनावेदक छोटू अना0सा0-1 व उसके पिता सिकंदर खान अना0सा0-2 का अपने कथनों में कहना है कि आवेदक श्रीमती रुबीना सिलाई के कार्य से प्रतिमाह 10 हजार रुपये की आय अर्जित करती है, लेकिन जहां एक ओर उक्त संबंध में अनावेदक पक्ष की ओर से अभिलेख पर कोई भी

दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है, बल्कि अपनी उक्त प्रतिरक्षा के विपरीत स्वयं अनावेदक छोटू अना0सा0—1 का अपने मुख्य परीक्षण में ही कहना है कि उसे सिलाई की मशीन समाज के सम्मेलन से हुई शादी में मिली थी एवं उसे नहीं मालूम कि सिलाई से आवेदिका को कितनी आय होती है।

15. उपरोक्त के विपरीत आवेदक श्रीमती रूबीना आ0सा0—1 का अपने अभिवचनों तथा कथनों में स्पष्ट रूप से कहना है कि वह सीधी—सादी एवं अनपढ़ महिला है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं होने के कारण वह स्वयं का एवं अपने पुत्र का भरण पोषण करने में अक्षम है, जिसका भली भांति समर्थन स्वयं उसकी माँ श्रीमती गुड़डी आ0सा0—2 के कथनों से भी होता है और प्रतिपरीक्षण के दौरान दोनों साक्षीगण अपने कथनों पर भली भांति स्थिर रहे हैं, जबकि मामले में अनावेदक पक्ष अपने इस स्टैंड पर स्थिर नहीं है कि आवेदक श्रीमती रूबीना सिलाई का कार्य करती है अथवा मजदूरी का काम करती है और वैसे भी यह भली भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि यदि पेट भरने के लिये किसी महिला को कुछ मजदूरी या सिलाई आदि करना भी पड़े तो उसे इस आशय की संज्ञा नहीं दी जा सकती है कि वह स्वयं का एवं अपने पुत्र का भरण पोषण करने में सक्षम है।

16. अतः अनावेदक छोटू की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये उक्त तर्क तात्त्विक होना नहीं पाये जाते हैं, बल्कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित होकर विधि के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप होना पाया जाता है कि आवेदक श्रीमती रूबीना अपना स्वयं का भरण पोषण करने में अक्षम है।

17. अनावेदक छोटू की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में यह भी कहना है कि आवेदक श्रीमती रूबीना पर्याप्त कारण के बिना अनावेदक से पृथक निवासरत होने के कारण वह भरण पोषण राशि पाने की पात्र नहीं होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने उक्त संबंध में साक्ष्य सहित विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत निष्कर्ष दिये हैं, लेकिन अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक छोटू खान अना0सा0—1 एवं उसके पिता सिकंदर खान अना0सा0—2 ने ही अपने कथनों में यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि स्वयं अनावेदक छोटू ही आवेदक श्रीमती रूबीना को उसके मायके छोड़कर आया था तथा अनावेदक छोटू अना0सा0—1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 7 में स्पष्ट रूप से बार—बार प्रकट किया है कि वह आवेदक श्रीमती रूबीना को अपने साथ रखने के लिये किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावेदक छोटू अना0सा0—1 एवं उसके पिता सिकंदर अना0सा0—2 के यह कथन विश्वास योग्य नहीं रह जाते हैं कि उन्होंने आवेदक श्रीमती रूबीना को उसी की मर्जी से मायके छोड़वाया था।

18. अनावेदक पक्ष का मामले में यह भी कहना रहा है कि आवेदक श्रीमती रूबीना पेट दर्द एवं सिर दर्द का बहाना लेती थी और घर से भाग जाती थी इस तरह से आवेदक श्रीमती रूबीना द्वारा अनावेदक पक्ष को परेशान किया जाना बताया है, लेकिन अनावेदक पक्ष द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसके अवलोकन से आवेदक रूबीना के घर से भाग जाने के संबंध में अनावेदक पक्ष द्वारा पुलिस आदि को शिकायत किया जाना दर्शित हो, बल्कि सिकंदर अना0सा0—2 ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शादी हो जाने से दो—तीन माह तक आवेदक श्रीमती रूबीना

ससुराल में अच्छे से रही है और अभिलेख से शादी के कुछ महीनों पश्चात ही आवेदक श्रीमती रूबीना को गर्भवती हो जाना भी दर्शित है। ऐसी स्थिति में सिरदर्द व पेटदर्द होना स्वाभाविक है और उसे बहाना लेकर परेशान करने की संज्ञा दिया जाना गलत है।

19. उपरोक्त के विपरीत आवेदक श्रीमती रूबीना आ0सा0-1 एवं उसकी मां श्रीमती गुडडी आ0सा0-2 ने अपने कथनों में अभिवचनों के अनुरूप स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि शादी हो जाने के कुछ समय पश्चात से अनावेदक व उसके ससुरालजन द्वारा आवेदक श्रीमती रूबीना को मायके से और दहेज जाने की मांग को लेकर निरंतर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और मांग पूर्ति के अभाव में दिनांक 02.01.14 को मात्र पहने हुये कपड़ों में आवेदक को अनावेदक द्वारा मायके में लाकर यह कहते हुये छोड़ दिया है कि दहेज पूर्ति के बिना साथ में नहीं रखेंगे और जब से कोई खोज खबर नहीं ली है तथा उक्त संबंध में पुलिस को रिपोर्ट किया जाना भी बताया है। स्वयं अनावेदक छोटू खान अना0सा0-1 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 7 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके और उसके परिवार के उपर दहेज एक्ट का मामला न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 श्री पंकज शर्मा की कोर्ट में चल रहा है तथा अनावेदक पक्ष का मामले में ऐसा भी कदापि कहना नहीं है कि उन्होंने आवेदक को मायके से लाने का कभी कोई प्रयास किया है। अतः उक्त समस्त के आलोक में ऐसा नहीं माना जा सकता कि आवेदक श्रीमती रूबीना पर्याप्त कारण के बिना अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही है। साथ ही मामले में यह अविवादित है कि आवेदक श्रीमती रूबीना वर्ष 2014 से अपने पुत्र सिंदबाज सहित मायके में निवासरत है और अनावेदक द्वारा कोई भरण पोषण की राशि अदा नहीं की जा रही है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक विधिक एवं सामाजिक दायित्व है कि वह अपनी धर्मपत्नी एवं अव्यस्क बच्चों का उचित रूप से भरण पोषण करे। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि आवेदक श्रीमती रूबीना भरण पोषण राशि पाने की पात्र नहीं है। तदनुसार अनावेदक छोटू की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त संबंध में किये गये तर्क तात्विक होना नहीं पाये जाते हैं, बल्कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में दिया गया निष्कर्ष उचित एवं साक्ष्य पर आधारित होकर विधिसम्मत होना पाया जाता है।

20. मामले में आवेदक श्रीमती रूबीना की ओर से प्रस्तुत याचिका क्रमांक 49/17 के संबंध में उनके विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में कहना है कि विचारण न्यायालय ने आवेदकगण श्रीमती रूबीना व सिंदबाज को कम भरण पोषण की राशि दिलायी गई है। उक्त संबंध में विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने पर पाया जाता है कि विचारण न्यायालय ने अनावेदक छोटू खान की प्रतिमाह आमदनी 9000/- रुपये प्रतिमाह पाते हुये आवेदकगण श्रीमती रूबीना व सिंदबाज को क्रमशः 1500 व 1000 रुपये कुल 2500/- रुपये की राशि दिलायी गई है, जबकि सम्माननीय न्यायदृष्टांत चतुर्भुज विरूद्ध सीताबाई ए0आई0आर0 2008 एस0सी0 30 में यह भली भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि पत्नी, पति के साथ जैसा जीवन गुजारती थी, वैसा ही जीवन स्तर उसे अलग रहने पर मिलना चाहिये।

21. विचाराधीन मामले में अनावेदक छोटू खान अना0सा0-1 व उसके पिता सिकंदर अना0सा0-2 ने अनावेदक छोटू खान को मजदूर पेशा होकर बेलदारी का कार्य करना बताया है और अपने घर पर दो चार पहिया वाहन

होना बताये हैं तथा सवा सौ अरब जनसंख्या वाले इस देश में प्रत्येक शहर व कस्बा में चारो तरफ निर्माण का कार्य अनविरत रूप से जारी रहता है। ऐसी स्थिति में बेलदारी का काम करने वाले मजदूर को अनावेदक पक्ष के कहे अनुसार सिर्फ 10—12 दिन काम मिलता हो यह बात स्वीकार योग्य नहीं रह जाती है तथा वर्तमान में आसमान छूती महंगाई को देखते हुये एक हजार या पन्द्रह सौ रुपये में किसी व्यक्ति द्वारा गुजारा कर लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है और पुत्र सिंदबाज करीब 5—6 वर्ष का होकर स्कूल जाने की स्थिति में है। अतः यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण को कम राशि दिलायी गई है, जो कि त्रुटिपूर्ण होकर इस न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप किये जाने योग्य है।

22. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अनावेदक छोटू खां द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 35/17 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त की जाती है तथा आवेदकगण श्रीमती रुबीना आदि की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 49/17 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण श्रीमती रुबीना व सिंदबाज को दिलाई जाने वाली भरण पोषण की राशि क्रमशः 1500 व 1,000/— रुपये के स्थान पर क्रमशः 2000 व 2000 कुल 4,000/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है जो कि आदेश दिनांक 27.02.17 से देय होगी।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,

गोहद (म0प्र0)

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,

गोहद (म0प्र0)

